



2026:AHC:41317

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या – 408 / 2026 से संबद्ध 1 अन्य वाद

साजिद हुसैन

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 7 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सूर्यकांत कुमार, विनोद कुमार उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., राम प्रकाश, सुधीर भारती.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार उपाध्याय और श्री सूर्य कांत शर्मा, प्रतिवादी संख्या 8 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार यादव सहयोगी श्री राम प्रकाश, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी और प्रतिवादी संख्या 6/भूमि प्रबंधन समिति/ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवाद जनपद-कुशीनगर, तहसील-तमकुहीराज, ग्राम-पकड़िया पूरब पट्टी में स्थित गाटा संख्या 1015 क्षेत्रफल 0.085 हेक्टेयर और गाटा संख्या 1052 क्षेत्रफल 0.283 हेक्टेयर से संबंधित है। विवादित भूमि शुभन अली (याचिकाकर्ता के पिता) की थी, जिनकी मृत्यु 15.06.1990 को हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद, 12.06.1992 को पी.ए. 11 के तहत याचिकाकर्ता का नाम दर्ज किया गया। 19.08.2002 को याचिकाकर्ता की माता, श्रीमती जियानी ने उत्तराधिकार के आधार पर अपना दावा पेश किया, जिसे आदेश दिनांक 13.01.2003 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 22.02.2007 को निष्पादित बैनामा के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के तहत एक नामान्तरण वाद दायर किया गया। याचिकाकर्ता ने 13.01.2003 के आदेश को वापस लेने के लिए विलम्ब माफी आवेदन के साथ एक पुनर्स्थापन आवेदन दिनांक 27.02.2007 दाखिल किया, जिसे 06.03.2007 को स्वीकार कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा बैनामे के आधार पर दायर नामान्तरण वाद में आपत्ति भी दाखिल की। प्रतिवादी संख्या 8 ने 06.03.2007 के आदेश के विरुद्ध राजस्व परिषद में पुनरीक्षण दाखिल की। श्रीमती जियानी ने भी 06.03.2007 के आदेश के खिलाफ पुनर्स्थापन आवेदन दिया जिसे 30.06.2007 को स्वीकार कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने इस 30.06.2007 के आदेश को निरस्त करने के लिए 22.08.2007 को आवेदन दिया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 03.01.2008 द्वारा समझौते के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही तय की और 12.06.1992 के आदेश को बरकरार रखा। इस 03.01.2008 के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 8 श्रीमती पतासिया ने समय-बाधित अपील दायर की, जिसे आदेश दिनांक 21.04.2010 द्वारा स्वीकार कर लिया गया, 03.01.2008 के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को तहसीलदार के पास नए सिरे से निर्णय हेतु रिमांड कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने वाद संख्या 3343

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में आपत्ति दाखिल की कि वह शुभन अली का एकमात्र कानूनी वारिस है क्योंकि 1998 से पहले पति की मृत्यु के बाद पत्नी को संपत्ति विरासत में मिलने का अधिकार नहीं था। तहसीलदार के पास कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 8/पतासिया द्वारा 6.3.2007 के आदेश के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण संख्या 9635/2007 को आदेश दिनांक 17.12.2019 द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसमें यह माना गया कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में निष्पादित बैनामा रद्द नहीं किया गया है, इसलिए संक्षिप्त कार्यवाही में उसके दावे को नकारा नहीं जा सकता। रिमांड आदेश के अनुपालन में, तहसीलदार ने दिनांक 24.06.2022 को आदेश पारित कर श्रीमती जियानी के दावे को स्वीकार किया और प्रतिवादी संख्या 8 श्रीमती पतासिया का नाम बैनामे के आधार पर दर्ज करने का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ अपील को उप जिलाधिकारी ने 22.06.2024 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण भी 12.11.2025 को खारिज कर दी गई। अतः, याचिकाकर्ता-साजिद हुसैन की ओर से राहत के लिए यह रिट याचिका रिट बी संख्या 408/2026 दायर की गई है:-

"1) एक रिट, आदेश या निर्देश सर्टिओरारी की प्रकृति में जारी करें, जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वाद संख्या **1558/771** (जियानी बनाम शुभन) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **13.01.2003**, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वाद संख्या **4693/2022** (जियानी बनाम शुभन) में पारित आदेश दिनांक **24.06.2022**, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वाद/अपील संख्या **5274/2023** (साजिद हुसैन बनाम श्रीमती पतासिया) में पारित आदेश दिनांक **22.06.2024** और पुनरीक्षण संख्या **2846/2024** (साजिद हुसैन बनाम श्रीमती पतिया) में पारित आदेश दिनांक **12.11.2025** को निरस्त (**Quash**) किया जा सके (जो क्रमशः इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या **1, 2, 3** और **4** हैं)।"

रिट बी संख्या 573/2026 याचिकाकर्ता-साजिद हुसैन की ओर से निम्नलिखित अनुतोष हेतु योजित की गई है:-

"एक रिट, आदेश या निर्देश सर्टिओरारी की प्रकृति में जारी करें, जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुनरीक्षण संख्या **2256/2006-07** (पतासिया बनाम साजिद हुसैन) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **17.12.2019** को निरस्त किया जा सके (जो इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या **2** है)।"

3. स्टैम्प रिपोर्टर अनुभाग ने 'रिट बी संख्या 573 / 2026 दाखिल करने में 2151 दिनों की देरी की रिपोर्ट दी है।

4. दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता-साजिद हुसैन, पुत्र होने के नाते शुभन अली के एकमात्र कानूनी वारिस हैं। उन्होंने आगे कहा कि 'पी.ए. 11' के आधार पर वर्ष 1992 में याचिकाकर्ता का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ष 2002 में श्रीमती जियानी द्वारा प्रस्तुत दावे को नामान्तरण न्यायालय द्वारा किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने दलील दी कि 1998 से पहले, यदि पुत्र जीवित हो, तो विधवा को अपने पति के स्थान पर नाम दर्ज कराने का अधिकार नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि 13.02.1990 के वसीयतनामा पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रीमती जियानी और श्रीमती पतासिया द्वारा कभी भी मूल वसीयतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



श्रीमती जियानी विवादित भूखंड के कब्जे में नहीं थीं, इसलिए न तो उनका नाम दर्ज किया जा सकता है और न ही वह 22.02.2007 को प्रतिवादी संख्या 8 श्रीमती पतासिया के पक्ष में बैनामा निष्पादित कर सकती थीं। उन्होंने तर्क दिया कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर बैनामा रद्दीकरण का वाद खारिज कर दिया गया है, पूरी तरह से गलत और विकृत है। उन्होंने मांग की कि नामान्तरण कार्यवाही में अधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए और आदेश दिनांक 12.6.1992 के उस आदेश को बहाल रखा जाना चाहिए जिसमें पी.ए.-11 के आधार पर याचिकाकर्ता का नाम दर्ज किया गया था।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 8 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नामान्तरण कार्यवाही में पारित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा बैनामा रद्द करने हेतु दायर वाद संख्या 354 / 2007 को दिनांक 19.07.2011 के आदेश द्वारा खारिज किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को नामान्तरण कार्यवाही के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दाखिल करने के बजाय सिविल न्यायालय के समक्ष उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मालिकाना हक के प्रश्न का निर्णय नामान्तरण कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है, बल्कि नामान्तरण कार्यवाही में पारित आदेश सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के न्यायनिर्णयन यदि कोई हो के अधीन होंगे।

6. जवाब में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर बैनामा रद्दीकरण वाद के खारिज होने के खिलाफ पुनर्स्थापन कार्यवाही लंबित है, अतः प्रतिवादी संख्या 8 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क भ्रामक हैं।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का नाम 12.06.1992 के आदेश द्वारा 'पी.ए. 11' के आधार पर शुभन अली के स्थान पर दर्ज करने का आदेश दिया गया था, लेकिन श्रीमती जियानी और श्रीमती पतासिया द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर उनका नाम शुभन अली/श्रीमती जियानी के स्थान पर दर्ज करने का आदेश दिया गया। इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील और निगरानी को अपीलीय न्यायालय/निगरानी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

9. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि नामान्तरण न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए नामान्तरण का आदेश पारित किया है, जिसमें यह मुद्दा भी शामिल है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 22.02.2007 के बैनामे को निरस्त कराने हेतु दायर सिविल वाद संख्या 354/2007 को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

10. यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि क्या सिविल वाद संख्या 354/2007 को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ पुनर्स्थापन आवेदन लंबित है या स्वयं सिविल वाद लंबित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा; और नामान्तरण/अपीलीय/निगरानी के आक्षेपित आदेश सिविल वाद संख्या 354/2007 में विवाद के न्यायनिर्णयन यदि कोई हो के अधीन होंगे।

11. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, रिट बी संख्या 408 / 2026 और रिट बी संख्या 573 / 2025 में पारित आक्षेपित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. दोनों रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि नामान्तरण कार्यवाही में पारित आक्षेपित आदेश सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के न्यायनिर्णयन, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

24 फरवरी, 2026

पीएस

(चंद्र कुमार राय, जे.)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"